हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/2000 से 3/2001.

भाग - एक

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निपटाये गए अनिपटाए पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है। अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जावे ।

(क) अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 3(ख) अनिर्णीत ।

(ख) अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4(सी) अनिर्णीत ।
2. पैरा 5(5) अनिर्णीत ।
3. पैरा 5(8) समाप्त (बोर्ड द्वारा मद 129(16) दिनांक 13.9.2001 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई)
4. पैरा 7(2(सी से एफ) अनिर्णीत ।

(ग) अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 6(5) अनिर्णीत
2. पैरा 9(6) अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 7(क) अनिर्णीत

...2....

(ङ) अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 4 — अनिर्णीत
2. पैरा 6(ए)(बी)(सी) — अनिर्णीत ।

(च) अवधि 4/94 से 3/95 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 7 — अनिर्णीत ।
2. पैरा 12 — निर्णीत (अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर ।
3. पैरा 26 — अनिर्णीत ।
4. पैरा 44 — निर्णीत (~~अधिशासी~~ सहायक अभियन्ता चम्बा के पत्रांक आई.पी.एच.ए.वी.-अकाउंट्स-2001-6071 दिनांक 3.9.2001 को पुष्टि की गई ।)

(छ) अवधि 4/95 से 3/96 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 6 — अनिर्णीत ।
2. पैरा 18 — समाप्त (अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर ।)
3. पैरा 19(ग) — निर्णीत (-यथोपरि-)
4. पैरा 18(ख) — अनिर्णीत ।

(ज) अवधि 4/96 से 3/97 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 6(क) — अनिर्णीत
2. पैरा 6(ग) — समाप्त (~~[illegible]~~ अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर)
3. पैरा 6(ठ)(2) — अनिर्णीत
4. पैरा 11 — अनिर्णीत — पैरा [illegible] निर्णीत [illegible]
5. पैरा 12(घ) — अनिर्णीत [illegible] 165-169 [illegible]
6. पैरा 16 — अनिर्णीत [illegible]
7. पैरा 45 — अनिर्णीत ।

...5...

[ख] अवधि 4/97 से 3/98 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 13 अनिर्णीत
2. पैरा 15 निर्णीत
3. पैरा 17 अनिर्णीत
4. पैरा 22 अनिर्णीत
5. पैरा 25 अनिर्णीत
6. पैरा 30[घ] अनिर्णीत
7. पैरा 31 अनिर्णीत

[ग] अवधि 4/98 से 3/99 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 10 अनिर्णीत
2. पैरा 11[क] अनिर्णीत
3. पैरा 12[क] अनिर्णीत
4. पैरा 13[क] अनिर्णीत
5. पैरा 27 अनिर्णीत
6. पैरा 28[क] अनिर्णीत
7. पैरा 33 अनिर्णीत।

[घ] अवधि 4/99 से 3/2000 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 3 समाप्त
2. पैरा 4 समाप्त [नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में सम्मिलित]
3. पैरा 5 समाप्त। -यथोपरि-
4. पैरा 6 समाप्त। -यथोपरि-
5. पैरा 7 समाप्त
6. पैरा 8 समाप्त।
7. पैरा 9[1] समाप्त।
8. पैरा 9[2] समाप्त।
9. पैरा 9[3] समाप्त [सामान भण्डार सामग्री स्टाक में समायोजित किये की पुष्टि की गई]
10. पैरा 9[4] समाप्त -यथोपरि-
11. पैरा 9[5] समाप्त -यथोपरि-

12. पैरा 9(6)	समाप्त (सामान भण्डार सामग्री स्टाक में समायोजित जिसकी पुष्टि की गई)
13. पैरा 10	अनिर्णीत।
14. पैरा 11	अनिर्णीत (यद्यपि संविदाकार से वसूली कर ली गई है तथापि दोहरे माप हेतु की गई कार्यवाही नहीं बताई गई।
15. पैरा 12	निर्णीत।
16. पैरा 13	समाप्त (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित मद दर अनुमोदित)
17. पैरा 14	समाप्त। -यथोपरि-
18. पैरा 15	समाप्त। -यथोपरि-
19. पैरा 16	अनिर्णीत।
20. पैरा 17	समाप्त (रु0 650.00 रुपये की वसूली की पुष्टि की गई।
21. पैरा 18(1)	समाप्त (दर निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित)
22. पैरा 18(2)	समाप्त। -यथोपरि-
23. पैरा 18(3)	समाप्त। पैनल दर सीमेंट की वसूली की पुष्टि की गई।
24. पैरा 19	अनिर्णीत
25. पैरा 20	निर्णीत।
26. पैरा 21	अनिर्णीत।
27. पैरा 22	समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में सम्मिलित)
28. पैरा 23	समाप्त (रु0 13,275/- रुपये की वसूली की पुष्टि की गई।
29. पैरा 24	अनिर्णीत।
30. पैरा 25	समाप्त।
31. पैरा 26	अनिर्णीत।

37

भाग - दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के अवधि 4/2000 से 3/2001 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षा श्री सतपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी, श्री जितेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री मुकेश कुमार स्नेही, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.01.2002 से 25.2.2002 तक धर्मशाला में किया गया। मास 5/2000 व 3/2001 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। अंकेक्षण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया जाता है।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

वर्ष 2000-2001 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक से अनुरोध किया जायेगा।

4. **कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-**

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम रु० 7,762/- रुपये अग्रिमों की राशियां 31.03.2001 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाने तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम सं०	अग्रिम का विवरण	अग्रिम की राशि
1.	यात्रा अग्रिम	1302.00
2.	स्टाफ अग्रिम	1678.00
3.	वेतन अग्रिम	4672.00
4.	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	110.00
	कुल:	7762.00 रुपये

-54-

5. **विविध अग्रिम :-**

मुबलिग 16,85,663.22 रुपये की धन राशि दिनांक 31.3.2001 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली न करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि शेष अग्रिम राशियों से अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इन राशियों की समय रहते साथ साथ वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन राशियों की वसूली हेतु कोई भी ठोस पग उच्चअधिकारियों द्वारा नहीं उठाये जा रहे हैं। अतः इन राशियों की वसूली बारे ठोस पग शीघ्र उठाये जाये तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

6. **आवास बोर्ड बस्ती, पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च 2001 तक मुबलिग 14,19,364.00 रुपये की आँकड़ों के रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-**

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के मालिकों से प्राप्त होने वाले रख रखाव प्रभार की रु० 14,19,364.00 रुपये की राशि वसूली हेतु अपेक्षित है जिसकी वसूली मण्डल स्तर पर प्रयास किये जाने आवश्यक है इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उप मण्डलों को इन प्रभारों की वसूली बारे दिशा निर्देश दिये जायें। मण्डल कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियाँ की गई व कितनी वसूलियाँ शेष है का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है। क्योंकि सम्पूर्ण लेनदार व देनदारों की वास्तविक स्थिति तभी परिलक्षित हो सकती है।

उप मण्डल पालमपुर तथा धर्मशाला द्वारा रखे गये रख रखाव प्रभार खातों की जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2001 तक पालमपुर एवं कांगड़ा की बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंकेक्षण अवधि तक किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। अभिलेख की छानबीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए विभागीय स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु उचित कार्यवाही शीघ्र की जाये। दिनांक 31.3.2000 तक पालमपुर व कांगड़ा की बस्तियों के रख रखाव प्रभार राशि की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

आवास बोर्ड बस्ती, कांगड़ा :

क्रम संख्या	अलॉटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया राशि, रुपये
1.	श्री मधू सूदन भारद्वाज	एच. आई. जी. — 2.	3403-00
2.	अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि.	,, — 3,7,8,9 से 12 व 13	69425-00
3	लै. क. के. सी. कटोच	,, — 6	1357-00
4.	श्रीमति रेणू खुराना	,, — 14.	4847-00
5	डा. विश्व मित्र शर्मा	,, — 15.	1737-00
6	श्री एस. पी. शर्मा	,, — 16	1737-00
7.	श्री रजनीश कुमार महाजन	,, — 18.	6217-00
8.	,, सतीश कुमार सहगल	,, — 23	1881-00
9.	,, सत्यपाल शर्मा	,, — 24	797-00
10	,, रवि कुमार शर्मा	,, — 25.	797-00
11.	,, रेणू कुमार	,, — 27	1062-00
12	,, एस. के. चौधरी	,, — 28.	7939-00
13	,, एस० सी० गुप्ता	,, — 30.	2847-00
14	,, गोपाल कृष्ण पराशर	,, — 33	2252-00
15	,, ऐ० एस० माथुर	,, — 37	4833-00
16.	,, ~~मेजर~~ ज्ञान सिंह संधु	,, — 38.	1737-00
17.	,, के० सी० भारद्वाज	,, — 42.	1881-00
18.	,, सुरेन्द्र कुमार सत्या	,, — 43.	2050-00
19	,, रमानन्द शर्मा	,, — 45	6217-00
20	,, संजीव कुमार	,, — 46	2152-00
21	श्रीमति नीर प्यारी शर्मा	,, — 49.	6217-00
22	मेजर एस. आर. शर्मा	,, — 51	1737-00
23.	,, संजीव हांडा	,, — 54.	8502-00
24	,, मोहन लाल	एल० आई० जी० — 58	1877-00
25	कै० क० ए० एल० अवरोल	,, — 59.	1171-00
26.	,, राजेन्द्र कुमार	,, — 62	496-00
27.	,, अनिल कुमार सूद	,, — 61	496-00
28	श्रीमति कांचन शर्मा	,, — 64.	76-00

29.	श्रीमति सरिता थापर	एच.आई.जी.-II — 65.	3809-00
30.	" विजय लक्ष्मी	" — 66.	3001-00
31	श्री महेन्द्र सिंह	" — 71.	3809-00
32.	लै० क०. विनोद कुमार सिन्हा	" — 72	3807-00
33.	श्रीमति रुपा कानुगो	" — 74.	3807-00
34.	श्री प्रबोध भाटिया	" — 76.	586-00
35.	" अविनाश कुमार महाजन.	" — 86	3807-00
36.	" विनोद कुमार शर्मा	एच०आई०जी० — I.	3378-00
37.	" कन्हैया लाल	" — 4.	1572-00
38.	" राजेन्द्र कुमार	" — 7	1572-00
39	" मोहन लाल	" — 9.	3378-00
40.	" दलीप कुमार	" — 10	1572-00
41	श्रीमति जनक चावला	" — 11	134-00
42.	श्री सुनील वसुदेवा	" — 12.	146-00
43.	श्री. विजय कुमार	" — 12-ए.	1572-00
44.	श्रीमति गुलशन रानी	" — 40	957-00
45	श्री कंवल मोगरा	" — 41.	240-00
46.	श्रीमति मंजू ग्रोवर	" — 43.	3378-00
47.	श्री रंजीत शर्मा	" — 44.	1047-00
48	श्री कमल किशोर	एच०आई०जी० — 78.	64-00
49.	आवासीय अभियन्ता कांगड़ा	" — 6, 14, 15, 16, 17, 18 से 37, 39, 45 से 48 तथा 42	85225-00.
		योग	272609-00.

(ख) आवास बस्ती, पालमपुर (विन्द्रावन)

क्रम संख्या आवंटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया राशी, रु०
1. वीरेश रहेजा	2.	3732-00
2. श्रीमति कुसुम शर्मा	6.	6609-00
3. श्री जयवीर खोसला	7.	5171-00
4. कु० पतना कौशल	8.	2532-00
5. श्रीमति सुनीता रहेजा	10.	696-00
6. ब्रिगेडियर के०एस० जनवाल	11	12614-00
7. श्री विनय मित्रा महाजन	18.	1423-00
8. श्रीमति सुरेश काकड़िया	20	3759-00
9. श्री एस.के. सरोच	25	396-00
10 श्रीमति अलका सूद	32	396-00
11. श्री जी०एल० कतारा	33.	396-00
12. श्री आर०एस० ठाकुर	35.	484-00.
13. श्री आर०के० सूद	41	396-00
14. डा० एस.एस. जोहल	56.	396-00.
15. श्रीमति दिलबहार छतैठा	73	396-00
16. श्री आर.एन. सेठ	77.	1669-00
17. श्रीमति स्नेहलता छतैठा	79	440-00
18. श्री अरुण कुमार अरोड़ा	80.	440-00
19. श्री अशोक नय्यर	84.	396-00
20. श्री ओम प्रकाश विज	90.	396-00.
		42737-00.

ग) आवास बस्ती, पालमपुर (होल्टा)

क्रम संख्या	आबंटी का नाम	क्वार्टर / मकान संख्या	बकाया राशि, रुपये
1.	श्री एस. सी. व्यास	एच. आई. जी. - 6.	19303-00.
2.	" राजिन्द्र सिंह	एम. आई. जी. - 12	5580-00
3	श्री के. मालिक नाथ	" -15.	953-00
4.	श्री नवीन कुमार नालिया	" -16.	4293-00
5	श्रीमति आदर्श	" -20.	16688-00 ~~16668-00~~
6.	डा. के. के. परमार	" -52.	29841-00
7	श्री आर. सी. गुप्ता	एम. आई. जी. -56.	21270-00
8.	श्रीमति जय देवी	" - 57.	297-00
9	कोआर्डिनेटर सी. एस. आई. आर.	एम. आई. जी. -21 से 31.	325354-00
10.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. विभाग	एम. आई. जी. 39, 40, तथा 42.	140328-00
11.	कोआर्डिनेटर निदेशक सी. एस. आई. आर.	एम. आई. जी. - 44.	48540-00
12.	श्री आर. पी. एस. बड़वाल	एम. आई. जी. -46.	46452-00
13.	को-आर्डिनेटर निदेशक सी. एस. आई. आर.	" -47, 48.	89568-00.
14.	श्री कृष्ण गोपाल सूद	" - 51	650-00
15.	" रजीन गम्भीर	" - 33.	433-00
16.	श्रीमति चन्द्र कान्ता मनचन्दा	" - 35.	30978-00.
17.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. विभाग	एम. आई. जी. 65 से 68.	21079-00
18.	निदेशक सी. एस. आई. आर.	" - 87, 88, 90 से 93	127407-00
19.	मुख्य अभियन्ता लो. नि. वि.	एच. आई. जी. 2 व 3	108852-00
20.	श्रीमति मीरा कमानी	गराज नं. 73.	4824-00
21.	डा. शारदा सिंह एवं डा. युद्धवीर सिंह.	एच. आई. जी. 52-ए	1326-00.
			11,04,018-00

i) आवास बस्ती कांगड़ा 2,72,609-00
ii) आवास बस्ती पालमपुर (बिन्द्राबन) 42737-00
iii) आवास बस्ती पालमपुर (होल्टा) 11,04,018-00

कुल जोड़ 1419364-00

7. आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर (विन्द्रावन, फेज़-I) के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च 2001 तक मु० 6485/- रुपये पानी के बिलों की वसूली न करना :-

आवास बोर्ड को पालमपुर की बस्तियों के मालिकों से पानी की आपूर्ति के शुल्क के मु० 6485/- रुपये की वसूली अपेक्षित है जिसकी वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उप-मण्डलों को इन प्रभारों की वसूली बारे दिशा-निर्देश दिए जाएं। मण्डल कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण लेनदार व देनदारों की वास्तविक स्थिति तभी परिलक्षित हो सकती है।

दिनांक 31-03-2001 तक इन शेष वसूलियों का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है:-

क्रम संख्या	आवंटी का नाम	मकान/प्लाट संख्या	बकाया राशि, रुपये
1.	श्री वीरेश खेड़ा	2	165-00
2.	श्री जयवीर खोसला	7	990-00
3.	श्रीमति सुनीता खेड़ा	10.	165-00
4.	ई० यू०एन० शर्मा	13.	1087-00
5.	श्री रजीत कुमार अनार्दि	14.	396-00
6.	" विनय मित्र महाजन	18.	215-00
7.	श्रीमति मनोरमा गंडोत्रा	27	396-00
8.	श्री एम.डी. चौधरी	28.	165-00
9.	श्री आर.एस. ठाकुर	35.	264-00
10.	श्रीमति हर्ष लाम्बा	38.	264-00
11.	श्री विरेन्द्र कुमार गौड़	43.	165-00
12.	श्री बी.के. भाटिया	44.	396-00
13.	श्री अमित सूद	46.	396-00
14.	श्री हरदयाल शर्मा	66.	396-00
15.	श्रीमति नीना रानी	72.	165-00
16.	श्रीमति कैलाशपाल वडेरा	77.	165-00
17.	श्री अरुण कुमार अरोड़ा	80.	264-00
18.	श्री ओ.पी. शर्मा एवं कामता शर्मा	87.	165-00
19.	श्री ओम प्रकाश नीजा	90.	264-00
		योग	6485-00

8. स्टाक खातों दिनांक 31.3.2001 में भिन्नता :-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत स्टाक खातों के मूल्य राशि में भिन्नता पुराना स्टाक के अन्तर एवं अन्य दिए गए कारणों के कारण पाई गई जिससे मण्डल एवं मुख्यालय के खाते स्टाक मूल्य की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं तथा इनमें वांछित सुधार की आवश्यकता है :-

क्र.सं.	उपमण्डल/खण्ड	स्टाक विवरण एवं मूल्य (रुपयों में)	अन्तर का कारण
1.	नूरपुर खण्ड	टौर स्टील 16 एम.एम. 1.70 मी.टन । रु0 28,857.50 रुपये के सम्मिलित न करने से	बिन कार्ड संख्या: 231 में दर्ज स्थिति के अनुसार । स्टाक रु0 60,659.00 रुपये के स्थान पर रु0 89517.50 होना था ।
2.	देहरा खण्ड	विद्युत 80/100 3 ड्रम ।	3 ड्रम का मूल्य 5904 रुपये के स्थान पर रु0 6081.00 रु0 दर्शाया गया जिससे खण्ड स्टाक मूल्य रु0 39,226.00 रुपये के स्थान पर रु0 39049 रुपये होना ।
3.	चम्बा उपमण्डल	टौर स्टील 8 एम.एम. 1.075 मी.टन जबकि बिन कार्ड के अनुसार 0.825 मी.टन था ।	रु0 13457.30 के स्थान पर स्टाक मूल्य रु0 17535.92 दर्शाया गया ।
4.	चम्बा उपमण्डल	टौर स्टील 16 एम.एम. 9.863 मी.टन जबकि बिन कार्ड के अनुसार 9.413 मी.टन था।	रु0 1,52,563.36 स्थान पर [illegible] 1,39,836.84

9\. कार्य का नाम : जवाहर नवोदय विद्यालय, चम्बा में 3 नं० डोर मैटरी [दो छात्र एवं 1 छात्राओं] तथा 8 नं० स्टाफ क्वाटर का निर्माण जल आपूर्ति एवं सैनीटेशन सहित।

अनुबन्ध सं० : 3 वर्ष 1997-98

संविदाकार : मै० टिम्बर ट्रेल कन्स्ट्रक्शन परवाणू।

बकाया कार्य

उक्त निर्माण हेतु बकाया कार्य मैसर्ज टिम्बर ट्रेल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1997-98 द्वारा सौंपा गया। इससे पहले यह निर्माण कार्य श्री एस०पी० दत्त, संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1993-94 द्वारा प्रदान किया गया था जिसे पूर्ण करने में विफलता के कारण रिस्क एण्ड [illegible] किया गया था। उक्त [illegible] नीचे एवं अन्तिम बिल की जांच करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताये एवं रु० 1,02,424.50 रुपये के अधिक भुगतान के मामले तथा अन्य मामले प्रकाश में आये जिन पर सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा आवश्यक ध्यानार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाता है।

[1] मद संख्या: 1 अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन :-

उक्त मद पहले संविदाकार श्री एस०पी०दत्त द्वारा उक्त वर्णित अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1993-94 द्वारा 12वें एवं अन्तिम बिल के अनुसार मद संख्या 36 [एकस्ट्रा] द्वारा निम्न मात्रा अनुसार निष्पादित की गई थी जिसकी प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 769/93 पृष्ठ 30 पर की गई है :-

1\. सॉफ्ट एण्ड डूज स्वायल - 168.48 क्यूबिक मीटर
@ 17.1 = 2881.67

2\. हार्ड एण्ड डैन्स स्वायल - 362.31 क्यूबिक मीटर
@ 22.20 = 8043.28

3\. हार्ड रौक 1676.92 क्यूबिक मीटर
@ 143.87 = 2,41,258.48

कुल राशि जो अदा की गई = 252183/- रुपये

उक्त एक्स्ट्रा मद का भुगतान तीनों उक्त मात्राओं में 10:10:80 के रेशो में [illegible]नुसार किया गया उक्त मद को टिम्बर ट्रेल को दिये अनुबन्ध में सम्मिलित नहीं किया गया परन्तु उक्त कार्य के अंतिम में इसी मद को पुनः एक्स्ट्रा घोषित करके मापन पुस्तिका संख्या 961/98 पृष्ठ 30 द्वारा निम्न प्रकार से भुगतान किया गया :-

1. हार्ड डैन्स स्वायल - 334.96 क्यूबिक मी. @ 23.92 = 9200.36

2. आर्डिनरी रॉक -276.31 क्यूबिक मीटर @ 80.61 ==22273.35

3. हार्ड रॉक - 829 क्यूबिक मीटर @ 172.97 = 143392.13

कुल राशि =1,74,866...

उक्त एक्स्ट्रा मद का भुगतान तीनों उक्त मात्राओं के रेशो 20:20:60 निर्धारित करके [illegible]नुसार किया गया। उक्त दोनों संविदाकारों को भुगतान रेशो में अन्तर दर्शाने के कारण यह स्पष्ट ही स्पष्ट है कि श्री एस.पी.ढल संविदाकार को निम्न गणना के अनुसार रु0 27,244.50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है क्योंकि श्री ढल को निम्न विवरणानुसार टिम्बर ट्रेल से हार्ड रॉक का 19 प्रतिशत अधिक रेशो दर्शाकर भुगतान किया गया है।

	श्री एस.पी.ढल को भुगतान कार्य मात्रा	प्रतिशतता	टिम्बर ट्रेल को भुगतान कार्य मात्रा	प्रतिशतता
1. सॉफ्ट एण्ड लूज स्वायल	168.42x100 / 2207.63	8%	354.96x100 / 1460.27 =	24%
2. आर्डिनरी रॉक	362.31x100 / 2207.65	16%	276.31x100 / 1460.27 =	19%
3. हार्ड रॉक	1676.92x100 / 2207.63	76%	829x100 / 1460.27 =	57%

हार्ड रॉक में अधिक प्रतिशतता का भुगतान। === 76-57 = 19%

(2) उक्त निर्माण कार्य में दोनों अनुबन्धों में इस मद का एकस्ट्रा भुगतान रु0 4,27,049.47 रुपये बनता है जबकि पहले अनुबन्ध कार्य में तो यह मद एकस्ट्रा मानी जा सकती है तथा इसी कार्य को पुनः रिवाईज्ड करने पर जो बकाया कार्य हेतु अनुमान बनाये गये तो उनमें इस मद की कार्य मात्रा ली जानी नियमानुसार एवं साईट कन्डीशन को देखते हुए सम्मिलित की जानी वांछित थी जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(3) उक्त मद के निष्पादन जिसमें हार्ड रॉक की कुल 2506 क्यूबिक मीटर मात्रा का रु0 143.87 व रु0 172.97 रुपये की दर से भुगतान किया गया है जिसमें से नियमानुसार दोनों ठेकेदारों से 70 प्रतिशत सर्विसेबल मैटिरियल निकलना एवं उसकी वसूली की जानी वांछित थी अन्यथा इसे विभागीय तौर पर एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु माप पुस्तिका में किसी प्रकार के सर्विसेबल मैटिरियल प्राप्त न होने का प्रमाण [illegible] दिया गया जिसकी विभागीय जांच की जानी अपेक्षित है जबकि नियमानुसार यदि 50 प्रतिशत भी यह प्राप्त किया जाता तो 1253 क्यूबिक मीटर का पत्थर जिसका मूल्य 60.00 रुपये क्यूबिक मीटर के अनुसार रु0 75,180.00 रुपये बनता है जिसकी [illegible] वसूली नहीं की गई।

(4) आठवें चालित बिल में निष्पादित मदों की कार्य मात्रा का मापन एबस्ट्रैक्ट एम.बी. संख्या 946 के पृष्ठ 42 से 78 पर मापन पुस्तिका 960/98 पर की गई दर्शाई है परन्तु जैकेट की इस एम.बी. को उपमण्डल कार्यालय में कार्यरत श्री एच.के. शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा गुम किया गया बताया गया है जिसकी पुष्टि वरि. पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 10.2.99 द्वारा की जा सकती है इस कार्य में निष्पादित मदों का एबस्ट्रैक्ट पृष्ठ 42 के अनुसार 5.2.99 दर्शाकर इस बिल को उपमण्डल सहायक अभियन्ता द्वारा इस अपने पत्र संख्या: एच.पी.(सी.एस.डी.)4-2/98-492 दिनांक 18.2.99 को मण्डलीय कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसका भुगतान मण्डलीय कार्यालय द्वारा चैक [illegible] 24.2.99 रु0 1,26,870.00 रुपये का किया गया है। सहायक अभियन्ता

 -84

[illegible] गुम हो गई एम.बी.में दर्ज प्रविष्टियों के पुनर्मापांकन एवं सत्यापित करने हेतु मण्डलीय अभियन्ता द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था। तथा इसका पुनः सत्यापन उप मण्डल के पत्रांक सी.एम.डी./[illegible]-4/ 99-10 दिनांक 7.4.99 को कराया गया। अतः उक्त बिल में निष्पादित मदों की मात्राओं के बिना जांच पर भुगतान 24.2.99 को किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है जो कि गम्भीर अनियमितता परिलक्षित करता है। एम.बी. गुम हो जाने पर नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया।

[5] सम्बन्धित अनुबन्ध नाकि के पृष्ठ 239 पर [illegible] अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र [illegible] पुस्तिका 900/93 में दर्ज [illegible] की गई प्रविष्टि के अनुसार उन्हें पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना [illegible] बताया गया तथा साथ ही यह भी लिखा गया कि उन्हें द्वारा उन्हें [illegible] प्रविष्टियों [illegible] ठीक है तथा इस प्रमाण [illegible] अनुसार की गई प्रविष्टियों [illegible] जांच पत्र के नीचे सहायक अभियन्ता द्वारा 50 % प्रविष्टियों की जांच का प्रमाण दिया गया है जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः उक्त प्रमाण [illegible] के आधार पर गुम मापन पुस्तिका की प्रविष्टियों का सही माना जाना [illegible] प्रतीत नहीं होता जिसकी पूर्ण रूपेण जांच किये जाने की आवश्यकता है।

[6] उक्त बिल [illegible] कार्य में ठेकेदार श्री [illegible] को एम.एस.टयूब 2696.36 किलो ग्राम रु० 61,127.00 रूपये का भुगतान किया गया था तथा इसे विभागीय एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज किया गया था तथा इस कार्य के पुनः अनुमान बनाने पर [illegible] मद का [illegible] दर [illegible] ही नियमानुसार किया जाना अपेक्षित था क्योंकि मण्डल द्वारा [illegible] अनदेखी करके [illegible] रेट [illegible] गया। [illegible] उक्त ठेकेदार को [illegible] को प्रतिस्थापित करके [illegible] पर उक्त [illegible] भी जो प्रदान कर दिया गया तथा एम.ए.एस. में दर्ज उक्त सामान भी [illegible] जारी कर दिया गया। उक्त अनियमितता से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

10. कार्य का नाम : पुलिस हाउसिंग स्कीम एन.एच.सी.ह में 36 नं० टाईप एक का निर्माण कार्य जल आपूर्ति एवं सैनेटरी इन्सटालेशन सहित बकाया कार्य ।

अनुबन्ध सं० : 27 आफ 1999-2000 ।

संविदाकार : श्री पी० के० ठाकुर ।

उक्त निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्रांक संख्या डी.डी./एच.पी./ठेका-7/99-6783-93, दिनांक 13.1.2000 को 58.87 लाख रुपये लागत से जारी किया गया जिसमें निर्माण समय सीमा चार महीने यानि कि 27.5.2000 को समाप्त होनी थी किन्तु निर्माण कार्य में सम्भावित प्रगति न होने पर यह कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सका। अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला द्वारा पहला नोटिस दिनांक 5.9.2000 तथा दूसरा नोटिस दिनांक 13.1.2001 को जारी किया गया जिसके पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को भेजा गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात तथा संविदाकार द्वारा आश्वासन देने के पश्चात सम्पूर्ण कार्य 31.5.2001 तक पूर्ण करने हेतु स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई कि यदि यह कार्य 31.5.2001 तक समाप्त नहीं होता तो अधिशाषी अभियन्ता संविदाकार को अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार 10 प्रतिशत पैनल्टी अर्थात 5,88,711.00 रुपये लगा देंगे। उक्त पत्र पृष्ठांकन संख्या:एच.पी.15-20 0/98 टैक (वी) खण्ड-2-169-171, दिनांक 24.2.2001 द्वारा सूचित किया गया जिसकी प्रति सचिव, एवं मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को भेजी गई थी। अभिलेखानुसार उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा पर समाप्त नहीं हुआ था जैसा कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक संख्या: डी.डी./एच.पी./ए.पी./मैमो/2001-911-912, दिनांक 21.5.2001 द्वारा उनके स्तर पर ही 31.5.2001 तक समय सीमा बढ़ाने के आदेश से विदित होती है। उक्त अनियमितता के कारण तथा अधीक्षण अभियन्ता के आदेश अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को

रु० 3,88,711.00 रुपये की वसूली नहीं की जा सकी तथा संविदाकार को दिनांक 20.10.2001 को पांचवे चलित बिल रु० 1,09,123.00 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया जिसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

11. वाउचर संख्या : 33 दिनांक 12.5.2000

अनुबन्ध संख्या : 6 वर्ष 1999-2000।

कार्य का नाम : पुलिस हाऊसिंग स्कीम हिमाचल प्रदेश
12 अदद टाईप नं० I = निर्माण ज्वाली
12 अदद टाईप नं० I: निर्माण नूरपुर।
12 अदद टाईप नं० I: निर्माण डन्दौरा।

बिल संख्या : पांचवां चलित बिल।

उपरोक्त कार्य का आवंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या: डी.डी./एच.जी./डब्ल्यू-7/98-2947-53 दिनांक 26.10.1998 द्वारा संविदाकार श्री के.के. महाजन को किया गया उपरोक्त निर्माण कार्य के चलित बिलों 1 से 5 तक की जांच करने पर संविदाकार को की गई रु० 20,696.00 रुपये के अधिक अदायगी के मामले सामने आये :-

(1) मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 46 पर मद संख्या 4/11 (प्रोवाईडिंग ... स्टील/टोर स्टील) की कुल कार्य मात्रा 19292.41 कि० ग्राम [लगता है, परन्तु संविदाकार को 19322.61 कि० ग्राम] का भुगतान किया गया। जबकि संविदाकार की कुल निष्पादित की गई मात्रा से 30.20 किलो ग्राम (19322.61 - 19292.41) रु० 21.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से रु० 634.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

(2) मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 46 पर मद संख्या 5/5 (प्रोवाईडिंग वर्ग फर्श ... (प) फ्लैट सर्फेसिज) की मात्रा जो मापन पुस्तिका के पृष्ठ 14 पर 331.86 मीटर^2 निष्पादित की गई दर्शाई गई है ठीक उचित नहीं है। क्योंकि इस मद की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि (मापन पुस्तिका के पृष्ठ 10 से 14) फ्लैट सर्फेसिज

के लिए भूतपूर्व से फर्स्ट क्लास ग्राउंड फ्लोर के लिए का निष्पादित किए गए कार्य की कुल मात्रा 76.83 मी.^{2} बनती है तथा दूसरे क्लास के लिए भी यही मात्रा ग्राउंड फ्लोर के लिए निष्पादित की गई दर्शाई गई है जो कि 76.83 + 76.83 = 153.66 मी०^2 बनती है।

परन्तु उक्त कार्य की पहली क्लास की फर्स्ट फ्लोर के लिए निष्पादित की गई कार्य की कुल मात्रा 99.02 मी० दर्शाई गई है तथा दूसरे क्लास की पहली मंजिल के लिए भी यही मात्रा निष्पादित की गई दर्शाई गई है जो कि 99.02 + 99.02=198.04 मी०^2 बनती है।

अतः संविदाकार को 44.38 मी०^2 {198.04-153.66} का रु0 80.00 रुपये प्रति मी०^2 की दर से रु0 3550/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

{3} मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 49 पर मद संख्या 10/14 {प्रिकास्ट कंक्रीट सीलिंग क्लास} की कुल कार्य मात्रा जो कि 280.40 मी^{3} बनती है के स्थान पर 283.40 मी^{3} का भुगतान किया गया क्योंकि इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 17 पर इस कार्य मात्रा की गणना की गई है जो कि एक क्लास के लिए 32.37 मी^{3} तथा दूसरे क्लास के लिए भी यही मात्रा निष्पादित की गई है। तथा गलत गणना करने के कारण यह कार्य मात्रा पृष्ठ 16 पर 67.74 मी^{3} {32.37 + 32.37} की गई जो कि 64.74 मी०^3 बनती है। अतः संविदाकार को 3 मी०^3 का रु0 1300.00 रुपये प्रति मीटर की दर से रु0 3900.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

{4} मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 49 पर मद सं0 12/15 {ब्रिक वर्क इन क्लास} की कुल कार्य मात्रा 228.22 मी०^3 का भुगतान किया गया। इस मापन पुस्तिका के पृष्ठ 39 का अवलोकन करने पर पाया गया कि फर्स्ट क्लास की दूसरी फ्लोर में जो कार्य का निष्पादन 35.71 मी०^3 किया गया तथा कटौती 7.13 मी०^3 की गई तथा कुल कार्य मात्रा 28.58 मी०^3 {35.71-7.13} तथा दूसरे क्लास के लिए भी यही मात्रा की गई है जो कि {28.58+28.58} = 57.16 मी०^3 बनती है परन्तु उपरोक्त की फर्स्ट क्लास के

गुरु[illegible] कमरे [illegible] कार्य मात्रा का निष्पादन माप पुस्तिका के पृ0 28 पर दर्ज की गई है तथा कटौती 8.77 मी0^3 [illegible] की गई है। अतः 35.71 मी0^3 से भी 8.77 मी0^3 [26.94 मी0^3] तथा [illegible] [26.94 + 26.94] 53.88 मी0^2 के मजा भुगतान हेतु देय है अतः 3.28 मी0^3 का रु0 1300.00 रुपये की दर से 4264.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है क्योंकि नूरपुर, [illegible] तथा [illegible] में पुलिस क्वार्टर एक ही [illegible] पैटर्न पर बने है।

[5] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 83 पर निष्पादित की गई मद संख्या 21/3 [illegible] का भुगतान 19.59 मी0^3 रु0 200.00 रुपये प्रति मी0^3 की दर से रु0 3918.00 रुपये किया गया [illegible] है वास्तव में [illegible] मात्रा 18.88 मी0^3 [illegible] के कारण 0.71 मी0^3 का निष्पादित [illegible] नहीं। अतः [illegible] [19.59 - 18.88] रु0 200.00 रुपये प्रति मी0^3 की दर से रु0 142.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

[6] मापन पुस्तिका संख्या 1025/99 पृष्ठ 84 पर निष्पादित की गई मद संख्या 24/33 [स्टील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]] का रु0 206.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया क्योंकि [illegible] कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 812/96 पृष्ठ 82 पर 5.365 क्विंटल की गई जो कि 5.279 क्विंटल [illegible] है [illegible] कार्य मात्रा का भुगतान 2400.00 रुपये प्रति क्विंटल [पार्ट रेट] की दर से किया गया। अतः .086 क्विंटल का भुगतान 2400.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रु0 206/- रुपये अधिक किया गया।

(7) [illegible]

12. वाउचर संख्या : 83, दिनांक 29.3.2001
अनुबन्ध संख्या : 14 वर्ष 2000-2001.
संविदाकार का नाम : श्री [illegible] [illegible] सिंह।
कार्य का नाम : 8 [illegible] पुलिस क्वार्टरों [illegible] के निर्माण [illegible] [illegible]

[illegible] संख्या: [illegible] [illegible] [illegible]।

उपरोक्त कार्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रदेश [illegible] [illegible] अधिशासी अभियन्ता [illegible] [illegible]

* (7) मापन पुस्तिका सं0 1047/2000 पृ0 20 पर मद सं0 11/16(ईंट फ्लैट ब्रिक मेसनरी) का 40 मी.^{2} मु0 200/=रु0 प्रति मी.^{2} की दर से मु0 8000/=रु0 का अधिक भुगतान गलत गणना करने के कारण किया गया। उपरोक्त किए गए कार्य की गणना मापन पुस्तिका सं0 1025/99 पृ0 98 पर की गई है जो कि 59.98 मी.^{2} बनती है। परन्तु गलत गणना करने के कारण 99.98 मी.^{2} ली गई है। अतः 40 मी0(99.98-59.98) का मु0 200/=रु0 प्रति मी.^{2} की दर से मु0 8000/=रु0 का अधिक भुगतान किया गया।

मण्डल के पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी./अनु-7/2000-2191-97, दिनांक 7.8.2000 द्वारा रू0 16,19,812.00 रुपये हेतु आवंटित किया गया जिसको पूर्ण करने की तिथि 22.11.2000 थी। अधीक्षण अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड आवास बोर्ड कम्पटी द्वारा दिनांक 17.1.2001 को ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण संविदाकार से वार्ता करने के उपरान्त इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि 31.3.2001 तक बढ़ाई गई तथा अधीक्षण अभियन्ता ने पृष्ठांकन संख्या एच.बी.15-240/98 टैक्नी0 सेक्श-II दिनांक 18.1.2001 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गए कि यदि ठेकेदार उक्त दिनांक तक कार्य पूर्ण न करे तो उसे टैण्डर्ड राशि का 10 % अर्थात रू0 1,61,981.00 रुपये लगाया है की पैनल्टी अनुबन्ध की क्लाज-2 के अन्तर्गत लगाई जाये। परन्तु बताये जाने कि यह कार्य अधीक्षण अभियन्ता के उपरोक्त पृष्ठांकन के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता द्वारा संविदाकार पर कार्य को उपरोक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु दबाव डाला जाता अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाती, अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त निर्देशों की उपेक्षा करके अपने पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी./मेरठ/2000-1009-10 दिनांक 24.5.2001 द्वारा संविदाकार के पक्ष में इस कार्य के पूर्ण करने की अवधि 30.6.2001 तक बढ़ोत्तरी प्रदान करके संविदाकार को चौथे व पांचवे बिल का भुगतान किया है तथा अनुबन्ध की धारा के अन्तर्गत लगाई गई दण्ड राशि हेतु कटौती नहीं की गई ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं हुआ है। इस प्रकार एक तरफ तो अधीक्षण अभियन्ता के उपरोक्त आदेशों की अवहेलना की गई वहीं दूसरी ओर इस निर्माण कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है।

13. कार्य का नाम : पारसियल सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम वृन्दावन, पालमपुर फेज दो एल.एच.23 कैटेगिरी एक ग्रुप दो का निर्माण।

अनुबन्ध संख्या : 23 वर्ष 1999-2000.

संविदाकार का नाम : मैसर्स गुड कन्स्ट्रक्शन।

संविदाकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य दिनांक

12.11.2001 तक पूर्ण किया जाना था अनुबन्ध की क्लाज 2(दो) के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संविदाकार से छूट हियरिंग के अनुसार संविदाकार को यह कार्य हर हालत में 28.2.2002 तक पूर्ण करने हेतु समय बढ़ा किया गया था किन्तु पूर्ण न करने की स्थिति पर प्रति माह 10,17,001.00 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। क्योंकि निर्माण कार्य ऑडिट के समय भी अपूर्ण था। अतः संविदाकार से उक्त जुर्माना राशि की वसूली के बिना भुगतान न किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

14. वाउचर संख्या 24-23, दिनांक 6.3.2000
अनुबन्ध संख्या : 2, वर्ष 1998-99।
संविदाकार का नाम : श्री संदीप राठौर।
कार्य का नाम : 12 नं० टी-1 क्वार्टर पी एचई [illegible]।
बिल संख्या : सातवाँ चालू बिल।

(1) उपरोक्त कार्य की मद संख्या 27/33 स्टील वर्क (वेल्डिंग इन बिल्ट अप सैक्शन ट्रसेस) जिसकी कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 1046/2000 पृष्ठ संख्या 33 पर 2.010 क्विंटल की गई जो कि गलत है क्योंकि एंगल आयरन जिसका आकार 25x25x3 एमएम था की कुल कार्य मात्रा 111.70 प्रति चालित मीटर बनती है तथा जिसका परिवर्तन मूल्य 1.1 प्रति किलोग्राम प्रति चालित मीटर है तथा कुल कार्य मात्रा 1.228 किलोग्राम (111.70 x1.1) बनती है परन्तु गलत परिवर्तन मूल्य जो कि 1.80 किलोग्राम प्रतिचालित मीटर लगाया गया है के कारण कार्य मात्रा 201.06 किलोग्राम (111.70x1.80) दर्शाई गई है इस प्रकार ठेकेदार को 78.19 किलोग्राम कार्य मात्रा का मुताबिक 2545/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 1990.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली संविदाकार अथवा दोषी व्यक्तियों से करके जमा करवाई जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(2) मद संख्या 40/47 (सिन्थेटिक इनेमल, बोर्डर पेन्ट के साथ) के कुल कार्य मात्रा 936.90 वर्ग मीटर निष्पादित की गई जिसकी दर 22.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 21031.80 पैसे बनती है परन्तु मापन पुस्तिका नं० 1021/99 के पृष्ठ संख्या 67 पर गलत गणना के

...क्रमशः

द्वारा ठेकेदार को रु0 21711.00 रुपये का भुगतान किया गया दर्शाया गया है जोकि 660.00 रुपये अधिक है अत अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

15. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नियमानुसार निर्माण कार्य छोटे-छोटे भागों में बांट कर निर्माण कार्य आदेशों (वर्क आर्डर) के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों से करवाये गये हैं जबकि एक निर्माण कार्य से सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के पश्चात सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार निविदायें मंगवाई जा कर व अन्य सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करके कार्य करवाना अपेक्षित है। एक ही निर्माण कार्य को छोटे-2 भागों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया प्रतीत होता है। यह प्रकरण पूर्व वर्षों में कई बार अंकेक्षण द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करवाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से छूट प्राप्त करके अनुपालना की सूचना आगामी अंकेक्षण पर करवाई जावे।

क्र.सं.	कार्य आदेश व वर्ष।	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आदेश की राशि
1.	1/2000-01	ढारा [illegible] [illegible] धर्मशाला।	श्री कुलदीप [illegible], [illegible], धर्मशाला।	19137/-
2.	2/2000-01	ढारा [illegible] [illegible] रानीताल।	श्री [illegible] दाड़ी, धर्मशाला	9600.0
3.	3/2000-01	ढारा [illegible] [illegible] जिला चम्बा।	श्री [illegible] मुल्ला [illegible] चम्बा।	13006/-

2000-01	द्वारा प्रभात होर्कोस्जा स्कीम बजराल (तीसा) चम्बा।	श्री [illegible]	25000-00
5/2000-01	द्वारा कौशल होर्कोस्जा कॉलोनी कांगड़ा।	श्री कुलदीप मैहरा श्याम नगर धर्मशाला	1232-00
6/2000-01	द्वारा डी. एन. सी सील ज़िला चम्बा	श्री वी. आर. शर्मा सुल्तानपुर चम्बा	18918-00
7/2000-01	द्वारा डी. एन. सी सील ज़िला चम्बा	श्री वी. आर. शर्मा सुल्तानपुर चम्बा।	18918-00
8/2000-01	द्वारा एस. एच. सी धर्मशाला (सीवरेज)	श्री कुलदीप मैहरा श्याम नगर धर्मशाला	8559-00
9/2000-01	द्वारा ड्रेनेज होर्कोस्जा स्कीम (रकीलाल) सीवरेज।	श्री संदीप राणा बाड़ी धर्मशाला	20000-00
13/2000-01	द्वारा एस. एच. सी. कांगड़ा	श्री राजीव कुमार शाहपुर।	10352-00
14/2000-01	द्वारा कौशल होर्कोस्जा कॉलोनी ढेहरा।	श्री विजय कुमार महाजन भारत नगर पठानकोट।	12133-00
15/2000-01	द्वारा पी. एच. एफ. एच नियन्त्रण	श्री कृष्ण राम कांगड़ा।	11806-00
16/2000-01	द्वारा पी. एच. एफ. एच नियन्त्रण	श्री कृष्ण राम कांगड़ा।	9375-00
17/2000-01	[illegible] नियन्त्रण पालमपुर।	श्री मनोहर लाल घरोटा पालमपुर।	4484-00
5. 18/2000-01	[illegible]	श्री मनोहर लाल घरोटा पालमपुर।	5106-00
6. 19/2000-01	[illegible]	श्री [illegible] कुमार [illegible]	[illegible]

16. निर्माण कार्यों की सम्बन्धित अन्तिम बिलों को भुगतान हेतु पारित न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य यद्यपि कई वर्ष पूर्व किए जा चुके थे परन्तु इन निर्माण कार्यों के सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए हैं। यह अनियमितता पूर्व वर्षों में भी अंकेक्षण द्वारा बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई गई थी क्योंकि इन अनियमितता के कारण इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण है तथा ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों के अनुसार व्यय (-) की गई राशियों को आवास बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह अनियमितता पुनः बोर्ड के उच्च प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये पारित न किए गए अन्तिम बिलों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. व वर्ष	ठेकेदार का नाम	निर्माण पूर्ण होने की तिथि	अनुबन्ध राशि
1.	10 नं. एच.आई.जी. फ्लैट्स, धर्मशाला।	11 वर्ष 88-89	मै. युनाईटिड बिल्डर्ज एंड लिमिटेड।	कई सालों	2082973/-
2.	रैस्ट हाउस, धर्मशाला	1 वर्ष 93-94	मै. कुमार कौ.रिस्ट्रक्शन।	20.5.96	569350/-
3.	आवास भवन, पक्का	8 वर्ष 88-89	-"-	25.11.99	598845.1/-
4.	पुलिस हाउसिंग स्कीम 12 नं. क्वार्टर इन्दौरा, ज्वाली व नूरपुर।	6, वर्ष 99-2000	श्री के.के. महाजन	9.8.99	579690/-
5.	पुलिस हाउसिंग स्कीम 2 नं. क्वाटर कांगड़ा शाहपुर।	18 वर्ष 98-99	श्री संजीव कुमार	26.11.99	874743/-
6.	36 नं. क्वार्टर पुलिस लाईन, धर्मशाला।	12 वर्ष 99-2000	श्री एस.सी. कुमार।	2.1.2000	666212C
7.	12 नं. क्वाटर देहरा	2 वर्ष 99-2000	श्री संदीप राणा	1.6.99	2029952/
8.	12 नं. क्वार्टर सीवरेज।	20 वर्ष 99-2000	-"-	26.12.99	180075/-

...26...

17. अनुबन्ध संख्या: 22 वर्ष 1998-99
कार्य का नाम : 6 नं0 टाईप-I क्वार्टर का मारोटा कालोनी में निर्माण कार्य
(पुलिस हाउसिंग स्कीम)
(पांचवा व अन्तिम चालित बिल)
संविदाकार का नाम :- श्री के0सी0 धीमान।

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री के0सी0 धीमान, संविदाकार को पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी./डब्ल्यू-7/98-3164-70, दिनांक 12.11.98 द्वारा रु0 1042908/- रुपये का किया गया जिसे कि दिनांक 26.3.99 से पहले पूर्ण किया जाना था परन्तु निर्माण कार्य में सम्भावित [illegible] न होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पहला नोटिस पत्र संख्या: 5316-18, दिनांक 15.3.99 द्वारा दिया गया एवं अन्तिम नोटिस पत्र संख्या: 215-17 दिनांक 21.4.99 द्वारा दिया गया परन्तु संविदाकार द्वारा कार्य में प्रगति न करने के कारण अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत सम्पूर्ण [illegible] कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता XXXX/XXX/XX के पास भेजा गया। दिनांक 19.11.99 को की गई सुनवाई के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य को पूर्ण करने की तिथि 15.2.2000 निर्धारित की गई तथा इसे पूर्ण न करने पर रु0 1,04,291.00 रुपये पैनल्टी दर्शाई गई परन्तु संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न करने के कारण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या: डी.डी./एच.बी./ए.बी./मैमो/99-1595-97 दिनांक 1.7.2000 द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत संविदाकार से 10 प्रतिशत पैनल्टी अर्थात रु0 104291.00 रुपये [illegible] उक्त बनाये गये अन्तिम बिल से [illegible] करने पर [illegible] कुल [illegible] राशि = 1,04,014.00 रुपये बनती है अतः संविदाकार से उक्त पैनल्टी की वसूली सुनिश्चित की जाये।

18. लघु आपत्ति विवरणिका :-

जो अलग से जारी नहीं किया गया है।

19. **निष्कर्ष :-**

समस्त अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है ।

14/6/02

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल.ए.)2(सी)15(14)119/88-खण्ड-9, दिनांक, 14 JUN 2002
शिमला-171009,

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अधिशासी अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2. प्रधान ~~आयुक्त एवं~~ सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार शिमला-2.
4. श्री अनिल दत्त शर्मा, सहायक निदेशक, (लेखा परीक्षा) द्वारा----

14/6/02

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

....